RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 74/2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
1. श्री वजाराम पुत्र रावाराम 2. श्री देवाराम पुत्र रावाराम 3. श्री घेवरराम पुत्र रावाराम जातियान सरगरा निवासीयान होली का चौक, खण्डप तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान, पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा। 2. व्यवस्थापक, खण्डप ग्राम सेवा सहकारी समिति लि, खण्डप, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान, द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 स्वयं दौराने बहस अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 05.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 06.01.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान, पंचायत समिति समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. खण्डप के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 162(1) के तहत मौजा सरवड़ी चारणान में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 4462 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 45 फीट रास्ता, बदिशा दक्षिण में 60 फीट व पंचायत की भूमि, पूर्व में 80 फीट सड़क एवं पश्चिम में 60 फीट व पंचायत की भूमि आया हुआ है। उक्त पट्टे

जिला कलक्टर
बालोतरा

को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि, मौजा गोलिया चौधरीयान ग्राम पंचायत खण्डप में प्रार्थी का स्थाई निवास है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार कब्जा व स्वामित्व 70 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा एक ईटों का कमरा व दो ओरणे बनाये हुए है। भूखण्ड के चारों तरफ चीणें व बाड़ आदि बनाकर गेट लगाया हआ है। जिस भूखण्ड पर पहले प्रार्थीगण के पिता रावाराम का कब्जा व स्वामित्व था तथा उनके फौत होने पर हम प्रार्थीगण लगातार रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे के उपरोक्त भूखण्ड में से 4462.05 वर्गफीट का पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी किया गया, जो नियमों व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 पट्टा प्रारूप 23 क में कांट छांट कर नियम 162 के तहत जारी किया गया है, ग्राम पंचायत की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08.11.2021 को पंचायत राज नियम 162 अंकित किया गया है, लेकिन साधारण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 08.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 के तहत जारी करना बताया गया है। ग्राम पंचायत की साधारण बैठक दिनांक 20.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 2 में आबादी भूमि के पुस्तैनी कब्जा धारकों को नियम 157 की पत्रावलीयों की चर्चा के बारे में लिखा गया, जिसमें क्रम संख्या 10/2021 में अंकित अप्रार्थी संख्या 2 का अंकित किया गया, जबकि नियम 157 में अप्रार्थी संख्या 2 के पास कोई कब्जा सुदा भूमि नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में भी कांट छांट की गई है। साथ ही कार्यालय पंचायत समिति समदड़ी के क्रमांक 355 दिनांक 08.05.2023 की जांच रिपोर्ट में भी उक्त आलोच्य पट्टा पंचायतीराज नियमों विरूद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आंवटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने घर पर कब्जा है, की पालना नहीं की गई है। उक्त आलोच्य भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले पचास वर्षों के दौरान सनिर्मित किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा स्थल के परिसर पर कोई कब्जा आज दिन तक नहीं रहा है तथा पट्टासुदा स्थल में अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 2 ने जो आवेदन दिया है उसके साथ जो नक्शा बनाया है व नक्शा किसने बनाया इस बात का कोई हवाला नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जो आलोच्य पट्टा जारी

जिला कलक्टर
बालोतरा

किया गया है, उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार का सार्वजनिक सूचना या नोटिस वादग्रस्त भूखण्ड, चौराहे आदि पर चस्पा नहीं किया गया है, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। यदि वास्त में वादग्रस्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का नोटिस चस्पा किया होता या मौके का निरीक्षण किया जाता तो कोई व्यक्ति अवश्य मौके पर आता परन्तु मौके पर कोई नहीं आया। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी थी मगर उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 147, 148 व 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान द्वारा मिसल संख्या 10 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 08.11.2021 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 37 दिनांक 20.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 पट्टा प्रारूप 23 "क" में कांट छांट कर नियम 162(1) के तहत जारी होना बताया गया व ग्राम पंचायत की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08.11.2021 को पंचायत राज नियम 162 के तहत निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया, अंकित होना बताया गया, लेकिन साधारण बैठक कार्यावाही रजिस्टर में दिनांक 08.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 के तहत जारी करना बताया गया है। ग्राम पंचायत की साधारण बैठक दिनांक 20.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 2 में आबादी भूमि के पुस्तैनी कब्जा धारकों को नियम 157 की पत्रावलीयों की चर्चा के बारे में लिखा गया, जिसमें क्रम संख्या 10/2021 में अंकित अप्रार्थी संख्या 2 का अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आंवटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी करते समय पंचायतीराज नियम 157 की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में भी कांट छांट की गई है। साथ ही

जिला कलक्टर
बालोतरा

कार्यालय पंचायत समिति समदड़ी के कमांक 355 दिनांक 08.05.2023 की जांच रिपोर्ट में भी उक्त आलोच्य पट्टा पंचायतीराज नियमों विरूद्ध जारी किया गया है, होना बताया गया। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 खण्डप ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के नाम जारी पटटा संख्या 37 दिनांक 20.07.2021 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर बालोतरा

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा